# न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 03 / 2019

महावीर सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत महलपुर चूरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.......रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 13.09.2017 प्रकरण संख्या 44 / 2017

----

**निर्णय** **दिनांक 24.11.2020**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 13.09.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने एवं जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने दिनांक 19.04.2017 को तहत न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण चिकित्सक की सलाह पर स्वस्थ होने तक कार्य करने में असमर्थ है तथा उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो उसकी दुकान का अटैचमेन्ट किसी अन्य डीलर को कर दिया जावे। इस पर तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2017 के द्वारा अपीलान्ट के लाइसेन्स को निलम्बित कर क्षेत्र की नियंत्रित वस्तुओं के उठाव व वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था पास के ही डीलर को अस्थाई रूप से कर दी गई थी। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा राजनैतिक दबाब के चलते अपने आदेश के विरूद्व जाकर दिनांक 19.04.2017 को अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करवाया गया तथा दुकान बंद होने व राशन सामग्री वितरण नहीं करने के आरोप लगाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट बीमार था। अपीलान्ट ने दिनांक 19.4.2017 को बीमार होने के कारण प्रार्थना पत्र देते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सक बांसी पहाडपुर का रोगी व्यवस्था पत्र दिनांक 13.04.2017 भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया था। तहत न्यायालय से जारी कारण बताओ नोटिस के विरूद्व

C:\Users\lenovo\Desktop\rasad nirday new.doc

638

जिला कलक्टर भरतपुर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.10 14:28:08 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने अपने जबाब में भी अंकित किया है कि प्रार्थी का माह अप्रेल 2017 में स्वास्थ्य खराब था, इसलिए प्रार्थी राशन सामग्री का उठाव नहीं कर सका। प्रार्थी की बीमारी के कारण परिवार के अर्थिक स्थिति ठीक नही है और प्रार्थी स्वस्थ होते ही कार्य प्रारम्भ कर देगा। तहत अदालत ने अपीलान्ट के जबाब पर कोई गौर नही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। दौराने बहस अपीलान्ट द्वारा आयुर्वेद चिकित्सक बंशी पहाडपुर का आरोग्य प्रमाण पत्र दिनांक 25.10.2017 प्रस्तुत किया।

पैरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि डीलर द्वारा ग्राम पंचायत महलपुर चूरा की न तो आवश्यक वस्तुओं का उठाव किया गया और न उनके द्वारा वितरण कार्य प्रारम्भ किया। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश, 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की संख्या 11 का उल्लंघन किया है। इस कारण अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 19.04.2017 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण कार्य करने की असमर्थता जाहिर करते हुए तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र मय चिकित्सक द्वारा जारी रोगी व्यवस्था पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 20.04.2017 से अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर ग्राम महलपुर चूरा की आवश्यक वस्तुओं के उठाव एवं वितरण की वैकल्पिक अस्थाई व्यवस्था नजदीक के डीलर से की गई। तत्पश्चात् तहत न्यायालय द्वारा डीलर के राशन सामग्री का उठाव व वितरण न करने पर उसके विरूद्व कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जबाब अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भी किया गया है, किन्तु तहत अदालत को अपीलान्ट के अस्वस्थ्य होने की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी दिनांक 13.09.2017 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया, जो कि वैधानिक रूप से उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री का कोई दुरूपयोग, गबन एवं कालाबाजारी किया जाना नहीं पाया गया है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

**अतः आदेश है कि**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 अपास्त किया जाता है। अपीलान्ट डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.12.10 14:28:08 IST
Reason: SelfAttested

C:\Users\lenovo\Desktop\rasad nirday new.doc

639